



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-24.10.2024

विषय:- “आपरेेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना सारनाथ में अपहरण/दुष्कर्म के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को 07 वर्ष सश्रम कारावास व कुल 25,000/- रु0 अर्थदण्ड ।

थाना सारनाथ, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-396/2019 धारा 363,366,376(3) भा0द0वि0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त राजेश राजभर उर्फ चाऊ पुत्र भगवान राजभर निवासी पंचकोशी थाना सारनाथ जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक सारनाथ व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक-24.10.2024 को माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो-III जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त राजेश राजभर उर्फ चाऊ उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 363 भा0द0वि0 में 07 वर्ष सश्रम कारावास व 5000/- रु0 अर्थदण्ड, धारा 366 भा0द0वि0 में 07 वर्ष सश्रम कारावास व 5000/- रु0 अर्थदण्ड तथा धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट में 07 वर्ष सश्रम कारावास व 15,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।